कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 415/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 01.11.2026

थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़

☐ थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत, 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ अपहरण कर युवक की हत्या एवं शव छिपाने जैसे जघन्य अपराध में संलिप्त गैंग के सदस्य गुलशन गुप्ता को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थानाध्यक्ष कप्तानगंज प्रदीप कुमार द्वारा मु0अ0सं0-67/2024 धारा 363/364/302/201/120बी भादवि से संबंधित अभियुक्तों द्वारा वादिनी प्रमिला प्रजापति के पुत्र गुंजन को घर से ले जाकर हत्या करने एवं शव छिपाने जैसे जघन्य अपराध कारित करने तथा लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने के संबंध में गैंग लीडर प्रिन्स गुप्ता एवं गैंग सदस्य गुलशन गुप्ता के विरुद्ध जिलाधिकारी आजमगढ़ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के अनुमोदन के उपरांत थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0-332/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 01.11.2026 को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मय पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर छाता का पूरा ओवरब्रिज के पास से गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गुलशन गुप्ता को समय करीब 08:05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. गुलशन गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता निवासी कस्बा कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 24 वर्ष।

गैंग लीडर-

प्रिन्स गुप्ता पुत्र लौटू गुप्ता निवासी कस्बा कप्तानगंज, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-332/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-67/2024 धारा 363/364/302/201/120बी भादवि, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

इस गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 शिवसागर यादव, का0 सुधांशु सिंह, का0 अप्पु कुमार, रि0का0 धर्मेन्द्र जायसवाल, का0 कमल कुमार एवं म0का0 समीक्षा मौर्या, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

☐ थाना कोतवाली पुलिस द्वारा युवक पर जानलेवा फायरिंग करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

☐ मेले में हुए विवाद के बाद युवक को गोली मारकर घायल करने के मामले में प्रकाश में आए अभियुक्त शरद यादव को गिरफ्तार किया गया।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 27.10.2026 को वादी इन्द्रदेव यादव पुत्र विश्वनाथ यादव निवासी ग्राम ककरहटा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी गई कि उनका पुत्र निखिल यादव उम्र करीब 18 वर्ष गांव के पास लगे मेले में गया था। मेले में सौरभ यादव एवं अजीत यादव के बीच गाली-गलौज हो रही थी, जिस पर उनके पुत्र ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग कर दिया। इसी बात को लेकर रंजिश रखते हुए सौरभ यादव ने उनके पुत्र को फोन कर बातचीत के लिए बुलाया तथा वापस जाते समय जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिससे गोली उसके दाहिने पैर की जांघ में लग गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-560/2026 धारा 109(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 01.11.2026 को उ0नि0 मिथिलेश प्रजापति, चौकी प्रभारी बलरामपुर, मय हमराह पुलिसकर्मियों द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त शरद यादव को मोजरापुर से समय करीब 09:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
शरद यादव पुत्र स्व0 वीरेन्द्र यादव निवासी ग्राम मनचोभा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0-560/2026 धारा 109(1), 3(5) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 मिथिलेश प्रजापति, चौकी प्रभारी बलरामपुर, का0 नीरज कुमार, का0 सुमित कुमार एवं का0 पंकज शर्मा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
☐ थाना कोतवाली पुलिस द्वारा युवक पर जानलेवा चाकू से हमला करने के मामले में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।
☐ अभियुक्त राहुल मोदनवाल की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद।
पूर्व की घटना का विवरण-
दिनांक 30.10.2026 को वादी गुड्डू कुमार सोनकर पुत्र स्व0 रामदुलारे सोनकर निवासी मुहल्ला पहाड़पुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दी गई कि उनके भाई मनोज सोनकर अपनी दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान दुकान के बगल में राहुल मोदनवाल एवं एक अज्ञात व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, जिन्हें उनके भाई द्वारा बीच-बचाव कर अलग कराया गया। इसके बाद राहुल मोदनवाल पुनः चाकू लेकर आया तथा मिन्टू एवं उसके दामाद अमित मोदनवाल के कहने पर गाली-गलौज करते हुए उनके भाई मनोज सोनकर की गर्दन पर जान से मारने की नीयत से चाकू से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-565/2026 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस एवं 3(1)द/3(1)ध/3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक 31.10.2026 को उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव, चौकी प्रभारी पहाड़पुर, मय हमराह पुलिसकर्मियों द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राहुल मोदनवाल को हथियापुल से समय करीब 22:42 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
राहुल मोदनवाल पुत्र स्व0 रामजीत प्रसाद मोदनवाल निवासी पहाड़पुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।
बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0-565/2026 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस एवं 3(1)द/3(1)ध/3(2)5 एससी/एसटी एक्ट तथा 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 प्रमोद कुमार, चौकी प्रभारी पहाड़पुर, का0 अभिषेक सरोज एवं का0 पिन्टू यादव, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़
☐ थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखों का भण्डारण करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।
☐ दोनों अभियुक्तों के कब्जे से कुल 672 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद, अनुमानित कीमत करीब 5.47 लाख रुपये।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत अवैध पटाखों के भण्डारण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.11.2026 को थाना अतरौलिया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा अतरौलिया में अलग-अलग स्थानों पर किराये के मकानों में अवैध रूप से पटाखों का भण्डारण किया गया है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए सम्मो माता मंदिर के निकट आकाश कुमार सिंह के मकान में किरायेदार विरेन्द्र कुमार गुप्ता के कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कमरे से विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद हुए, जिनका कुल वजन 24 गत्तों में 325 किलोग्राम पाया गया। बरामद पटाखों की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 65 हजार रुपये है। अभियुक्त को बिना वैध लाइसेंस पटाखों का भण्डारण करने के आरोप में समय करीब 02:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा पटेल तिराहे के पास मिस्त्री चाचा के मकान में किरायेदार प्रवीण गुप्ता उर्फ पिन्टू के कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 10 बोरियों एवं 09 गत्तों में विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद हुए, जिनका कुल वजन 347 किलोग्राम पाया गया। बरामद पटाखों की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख 82 हजार रुपये है। अभियुक्त को बिना वैध लाइसेंस पटाखों का भण्डारण करने के आरोप में समय करीब 04:20 बजे गिरफ्तार किया गया।

उक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अतरौलिया पर क्रमशः मु0अ0सं0-393/2026 एवं मु0अ0सं0-394/2026 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. विरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र खेदन राम निवासी वार्ड नं0 09, हनुमानगढ़ी मंदिर के पास, कस्बा अतरौलिया, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 42 वर्ष।
2. प्रवीण गुप्ता उर्फ पिन्टू पुत्र खेदन राम गुप्ता निवासी वार्ड नं0 09, बरन चौक, कस्बा अतरौलिया, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

दोनों अभियुक्तों के कब्जे से कुल 672 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद, अनुमानित कीमत करीब 5,47,000 रुपये।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-393/2026 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-394/2026 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त प्रवीण गुप्ता उर्फ पिन्टू का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-727/2007 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़। उक्त मुकदमे में दिनांक 16.02.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार दूबे के नेतृत्व में उ0नि0 विश्राम गुप्ता, उ0नि0 संजय कुमार सिंह, उ0नि0 देवी शंकर पाण्डेय, हे0का0 सन्त कुमार, हे0का0 गोविन्द मौर्या, का0 सुमित सिंह, का0 महेन्द्र कुमार, म0का0 निधि मिश्रा एवं म0का0 सविता कुमारी, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।

जनपद आजमगढ़

☐ मिशन शक्ति-6.0 अभियान के अंतर्गत परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई-किरण में आयोजित बैठक में 02 बिछड़े दंपतियों के बीच कराया गया समझौता।

☐ कुल 08 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को बुलाकर की गई सुनवाई, आपसी सहमति से परिवारों को पुनः जोड़ने का प्रयास।

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी श्री नवीन अरोड़ा, पुलिस उप-महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति-6.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 01.11.2026 को थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई-किरण में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कुल 08 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को दूरभाष एवं नोटिस के माध्यम से सूचित कर मध्यस्थता हेतु बुलाया गया, जिसमें सभी पत्रावलियों के पक्षकार उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान 03 पत्रावलियों में दंपतियों ने आपसी कुशलता एवं पारिवारिक संबंधों में सुधार की जानकारी दी। वहीं, 02 प्रकरणों में काउंसलिंग टीम द्वारा अथक प्रयास कर दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर आपसी सहमति से समझौता कराया गया। इन प्रकरणों में ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, गाली-गलौज, मारपीट करने तथा घर में न रहने देने संबंधी शिकायतें अंकित थीं। 01 पत्रावली अन्य कारणों से बंद की गई तथा शेष 02 पत्रावलियों में अग्रिम सुनवाई हेतु तिथि नियत कर पक्षकारों को नोटिस/दूरभाष के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

समझौता कराए गए प्रकरणों का विवरण-

1. सन्जू सोनकर पुत्री नन्दू सोनकर, निवासी ग्राम जोलहापुर, थाना कंधरापुर, जनपद आजमगढ़।
2. अभिषेक सहानी पुत्र राधेश्याम, निवासी ग्राम फराशटोला, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

नई-किरण परियोजना के माध्यम से पारिवारिक विवादों को आपसी बातचीत एवं काउंसलिंग के जरिए सुलझाकर बिखरते परिवारों को पुनः जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे परिवारों में आपसी सौहार्द एवं सामंजस्य स्थापित करने के साथ ही पारिवारिक न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम करने में भी सहायता मिलती है।

इस अवसर पर काउंसलर डॉ0 उमेशचन्द्र पाण्डेय, श्रीमती नेहा जायसवाल, उ0नि0 महेन्द्र तिवारी, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी जितेन्द्र कुमार साह, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह उपस्थित रहे।

कुल समझौते – 02